



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-04052022-235524
CG-DL-W-04052022-235524

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 10] नई दिल्ली, अप्रैल 24—अप्रैल 30, 2022, शनिवार/वैशाख 4—वैशाख 10, 1944
No. 10] NEW DELHI, APRIL 24—APRIL 30, 2022, SATURDAY/VAISAKHA 4—VAISAKHA 10, 1944

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 2022

का.नि.आ. 31.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और नौसेना (समूह 'ग' और समूह 'घ') सफाई कर्मचारी भर्ती नियम, 1981 को, जहां तक इसका सम्बन्ध स्वास्थ्य अधीक्षक, स्वास्थ्य निरीक्षक, प्रधान बेगारी और बेगारी से है उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, एकीकृत मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय नौसेना में, समूह 'ग' (सफाई कर्मचारी) पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियम करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम एकीकृत मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय (नौसेना), समूह 'ग' पद (सफाई कर्मचारी) भर्ती नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर** – उक्त पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान वें होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि** – भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता** – वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति** – जहाँ केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति** – इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
1. स्वास्थ्य अधीक्षक	09* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनौद्योगिक	वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 5 (29200 – 92300 रु.)

चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(5)	(6)	(7)
अचयन	30 वर्ष से अधिक नहीं (सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के	1. मान्यताप्राप्त बोर्ड से 10 + 2 या समतुल्य उत्तीर्ण हो

	लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)	2. मान्यताप्राप्त संस्थान से सफाई निरीक्षण पाठ्यक्रम में एक वर्ष का डिप्लोमा या प्रमाणपत्र धारित करता हो। 3. हिन्दी या क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान अवश्य रखता हो। 4. सफाई या स्वास्थ्य शिक्षा कार्य में स्वास्थ्य निरीक्षक के रूप में एक वर्ष का अनुभव।
--	--------------------------------------	--

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	प्रोन्नति : ऐसे स्वास्थ्य निरीक्षक जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर -4 (25500 – 81100 रु.) में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो। टिप्पण 1 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-	लागू नहीं होता।
(1) कमांडर स्तर का अधिकारी या इसके समतुल्य स्तर का सिविलियन अधिकारी - अध्यक्ष	
(2) लेफ्टीनेंट कमांडर स्तर के दो अधिकारी या इसके समतुल्य सिविलियन अधिकारी, उनमें से एक विभागीय और दूसरा विभाग से असम्बन्धित होना चाहिए। - सदस्य	
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-	
(1) कमांडर स्तर का अधिकारी या इसके समतुल्य स्तर का सिविलियन अधिकारी - अध्यक्ष	
(2) लेफ्टीनेंट कमांडर स्तर के दो अधिकारी या इसके समतुल्य सिविलियन अधिकारी, उनमें से एक विभागीय और दूसरा विभाग से असम्बन्धित होना चाहिए। - सदस्य	

(1)	(2)	(3)
2. स्वास्थ्य निरीक्षक	11* (2022) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित अनौद्योगिक

(4)	(5)	(6)
वेतन मैट्रिक्स में स्तर -4 (25500-81100 रु.)	अचयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति के द्वारा

(11)
प्रोन्नति : ऐसे प्रधान कीट नियंत्रण कार्यकर्ता या कीट नियंत्रण कार्यकर्ता जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स स्तर -1 (18000 – 56900 रु) में ग्यारह वर्ष की नियमित सेवा की हो और जो विभागीय अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण हो । टिप्पण 1 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- (1) कमांडर स्तर का अधिकारी या इसके समतुल्य स्तर का सिविलियन अधिकारी - अध्यक्ष (2) लेफ्टीनेंट कमांडर स्तर के दो अधिकारी या इसके समतुल्य सिविलियन अधिकारी, उनमें से एक विभागीय और दूसरा विभाग से असम्बन्धित होना चाहिए। - सदस्य	लागू नहीं होता ।

(1)	(2)	(3)
3. प्रधान कीट नियंत्रण कार्यकर्ता या कीट नियंत्रण कार्यकर्ता	202* (2022) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित अनौद्योगिक

(4)	(5)	(6)
वेतन मैट्रिक्स में स्तर -1 (18000-56900 रु.)	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच (सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण 1: आयु -सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम,

		मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) टिप्पण 2: रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।
--	--	--

(7)	(8)	(9)	(10)
1. मान्यताप्राप्त बोर्ड से मेट्रीकुलेशन या उसके समतुल्य हो। 2. हिन्दी या क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान अवश्य रखता हो।	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधे भर्ती द्वारा

(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- (1) कमांडर स्तर का अधिकारी या इसके समतुल्य स्तर का सिविलियन अधिकारी - अध्यक्ष (2) लेफ्टीनैंट कमांडर स्तर के दो अधिकारी या इसके समतुल्य सिविलियन अधिकारी, उनमें से एक विभागीय और दूसरा विभाग से असम्बन्धित होना चाहिए। - सदस्य	लागू नहीं होता।

मूल नियम का. नि. आ. 226/1981 तारीख 14 अगस्त, 1981 द्वारा प्रकाशित किए गये थे और का. नि. आ. 189/1984 द्वारा संशोधन प्रकाशित किए गये थे।

[फा. सं. सी पी (एन जी)/2832/आर आर/30/र.(नि)/2022]

देवेन्द्र कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 21st April, 2022

S.R.O. 31.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India and in supersession of the Indian Navy, (Group 'C' and Group 'D'), Sanitary Staff Recruitment Rules, 1981, in so far as they relate to the posts of Health Superintendent, Health Inspector, Head Begary and Begary except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment for Group 'C' (Sanitary Staff) posts in Integrated Headquarters, Ministry of Defence (Navy) namely:-

1. **Short title and commencement.**- (1) These rules may be called the Integrated Headquarters, Ministry of Defence(Navy) Group 'C' posts (Sanitary Staff) Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in pay matrix.**- The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, other qualifications, etc.**- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**- No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**-Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, the ex-Servicemen and the other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection or non selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Health Superintendent	09* (2022) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, (Group 'C' Non-Gazetted, Non-Industrial)	Level-5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300)	Non-Selection

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.
(6)	(7)	(8)
Not exceeding 30 years of age (relaxable for Government servants up to forty years in accordance with the instructions issued by the Government from time to time).	1. 10+2 or equivalent from a recognized Board. 2. one year Diploma or Certificate in Sanitary Inspection Course from a recognized institution. 3. must have knowledge of Hindi or regional language.	No

	4. one year experience as health inspector in sanitation or health education work.	
--	--	--

Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by absorption or by promotion and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(9)	(10)
Two years for direct recruits.	By promotion failing which by direct recruitment

In case of recruitment by promotion or absorption, grades from which promotion or absorption to be made.
(11)
Promotion: Health Inspector in Level-4 (Rs. 25500-81100) in the pay matrix with five years regular service.
Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: -	Not applicable.
1. Officer of the rank of Commander or Civilian Officer of equivalent rank - Chairman	
2. Two Officers of the rank of Lieutenant Commander or Civilian Officers of equivalent rank (one departmental and one unconnected with the department) - Members.	
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of: -	
1. Officer of the rank of Commander or Civilian Officer of equivalent rank - Chairman	
2. Two Officers of the rank of Lieutenant Commander or Civilian Officers of equivalent rank, one departmental and one unconnected with the department - Members.	

(1)	(2)	(3)	(4)
2. Health Inspector	11* (2022) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, (Group 'C' Non-Gazetted, Non-Industrial)	Level-4 in the pay matrix (Rs.25500-81100)

(5)	(6)	(8)	(7)
Non-Selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable

(9)	(10)	(11)
Not applicable	By promotion	Promotion:- Head Pest Control Worker or Pest Control Worker in Level-1 (Rs.18000-56900) in the pay matrix with eleven years regular service and who have qualified in the departmental qualifying exam. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- - Officer of the rank of Commander or Civilian Officer of equivalent rank - Chairman - Two Officers of the rank of Lieutenant Commander or Civilian Officers of equivalent rank, one departmental and one unconnected with the department - Members.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)
3. Head Pest Control Worker or Pest Control Worker	202* (2022) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, (Group 'C' Non-Gazetted, Non-Industrial)

(4)	(5)	(6)
Level-1 in the pay matrix (Rs.18000-56900)	Not applicable	Between 18 and 25 years of age (relaxable for Government servants up to forty years in accordance with the instructions issued by the Government from time to time). Note 1: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Union territories of Ladakh and Jammu and Kashmir, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshdeep) Note 2: In the case of recruitments made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date up to which the Employment Exchanges are asked to submit the names.

(7)	(8)	(9)	(10)
1. Matriculation or equivalent from a recognized Board 2. must have knowledge of Hindi or regional language.	Not applicable	Two years	Direct recruitment

(11)	(12)	(13)
Not applicable	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of: - 1. Officer of the rank of Commander or Civilian Officer of equivalent rank - Chairman 2. Two Officers of the rank of Lieutenant Commander or Civilian Officers of equivalent rank, one departmental and one unconnected with the department - Members	Not applicable.

The principal rules were published vide SRO 226/1981 dated 14 Aug 1981 and amendments published vide SRO 189/1984.

[F. No. CP(NG)/2832/RR/30/D(A)/2022]

DEVENDRA KUMAR, Under Secy.